

मेरे द्वारा दिनांक 24.02.2023 को गाजियाबाद जाने के लिए सरकारी वाहन संख्या UP70AG-2010 से जाने हेतु अनुमति पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त अनुक्रम में कुल 428 किमी. की निजी यात्रा की गयी, जिसका किराया मु.व. 03 रुपये प्रति किमी. की दर से कुल 1284/- रुपये भारतीय स्टेट बैंक में दिनांक 28.02.2023 को चालान संख्या BS00012 से जमा कर दिया गया है।
जमा की गयी धनराशि के बैंक चालान की प्रति संलग्न है।

कोषागार प्रपत्र - 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2
प्रपत्र संख्या 43ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)

संस्था के नाम धनराशि जमा की

जा रही है उसका नाम

2. पता

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या

(यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण

(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

5. चालान की सकल राशि

6. चालान की निबल राशि

7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :

8. लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट का कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक उप मुख्य-शीर्षक लघु-शीर्षक

0070 60 800

उप-शीर्षक

05

व्योरेवार शीर्षक

0000

धनराशि(अंको में)

Rs 1284/-

धनराशि (शब्दों में) (एक हजार दो सौ चौरासी मात्र) योग

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

परिवार न्यायालय

Rs 1284/-

प्राप्तकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या : BS00012

28 FEB 2023

अंको में रु०

शब्दों में रु०

दिनांक :

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/ बैंक की मुहर सहित